रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226345
CG-DL-E-01042021-226345

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943
No. 142] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

फा. सं. CEA-PS-11-21(21)/4/2020-PSPA-I Division.— जबकि मेसर्स अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर थ्री लिमिटेड (पूर्व नाम अदानी ग्रीन एनर्जी नाइन लिमिटेड), आवेदक, जिसका पंजीकृत कार्यालय अडानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्कल के पास, एस. जी. हाइवे, खोडियार, अहमदाबाद-382421 गुजरात में है, ने पारेषण योजना "जैसलमेर, राजस्थान में 300 मेगावॉट हाइब्रिड विद्युत संयंत्र के लिए मे. अदानी ग्रीन एनर्जी नाइन लिमिटेड हेतु कनेक्टिविटी योजना" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division-Part (1) दिनांक 08.09.2020 के द्वारा पारेषण योजना "जैसलमेर, राजस्थान में 300 मेगावॉट हाइब्रिड विद्युत संयंत्र के लिए मे. अदानी ग्रीन एनर्जी नाइन लिमिटेड हेतु कनेक्टिविटी योजना" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाईन के लिए मेसर्स अदानी ग्रीन एनर्जी नाइन लिमिटेड (जिसका नाम बदलकर अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर थ्री लिमिटेड कर दिया गया है) को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स अदानी ग्रीन एनर्जी नाइन लिमिटेड (जिसका नाम बदलकर अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर थ्री लिमिटेड कर दिया गया है) ने 12.09.2020 के स्थानीय अखबारों (दैनिक नवज्योति और इंडियन एक्सप्रेस) तथा भारत के राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 03.10.2020 से 09.10.2020 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मेसर्स अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर थ्री लिमिटेड ने 03.12.2020 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि भारत के समाचार पत्रों / राजपत्रों में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "जैसलमेर, राजस्थान में 300 मेगावॉट हाइब्रिड विद्युत संयंत्र के लिए मे. अदानी ग्रीन एनर्जी नाइन लिमिटेड हेतु कनेक्टिविटी योजना" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1) अदानी ग्रीन एनर्जी नाइन लिमिटेड पावर प्लांट - फतेहगढ़- II पीएस 220 केवी एस/सी लाइन (नॉमिनल वोल्टेज पर 300 मेगावॉट विद्युत ले जाने के लिए उपयुक्त).*

*एस/सी लाइन डी/सी और एम/सी टावरों पर निर्मित होगी. लाइन की कुल लंबाई है लगभग 48 कि.मी जिसमें से लगभग 16 कि.मी. का इम्प्लीमेंट एजीई9एल के डी/सी टावरों पर एस/सी लाइन के रूप में होगा और फतेहगढ़- II पीएस तक शेष लाइन एमएसयूपीपीएल के एम/सी टावरों पर एस/सी लाइन होगी.

स्कीम के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

राज्य: राजस्थान

गाँव	**तहसील**	**जिला**
भीमसर, रासला, अचला, नया अचला, मेहराजोत, सांवता, कराडा	फतेहगढ़	जैसलमेर
केरालिया, सनावडा, माधुपुरा, मदासर, नेडान, लखासर, जेठमल की ढाणी, साकंडा	पोकरण	जैसलमेर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर श्री लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

मेसर्स अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर श्री लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

वी. के. मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./06/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 12th March, 2021

F. No. CEA-PS-11-21(21)/4/2020-PSPA-I Division.—Whereas M/s Adani Hybrid Energy Jaisalmer Three Limited (Formerly known as Adani Green Energy Nine Limited) having its registered office at Adani Corporate House, Shantigram, Near Vaishno Devi Circle, S. G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad - 382421, Gujarat has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme "Connectivity system to M/s Adani Green Energy Nine Limited for 300 MW Hybrid power plant in Jaisalmer, Rajasthan".

And whereas CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division-Part (1) dated 08.09.2020 had granted prior approval under section 68 (1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Adani Green Energy Nine Limited, (whose name has been changed to Adani Hybrid Energy Jaisalmer Three Limited) for the overhead line covered under the transmission scheme "Connectivity system to M/s Adani Green Energy Nine Limited for 300 MW Hybrid power plant in Jaisalmer, Rajasthan".

M/s Adani Green Energy Nine Limited, (whose name has been changed to Adani Hybrid Energy Jaisalmer Three Limited) has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 12.09.2020 (Dainik Navjyoti & The Indian Express) and in Weekly Gazette of India dated 03.10.2020 to 09.10.2020 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Adani Hybrid Energy Jaisalmer Three Limited has submitted an affidavit dated 03.12.2020 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity system to M/s Adani Green Energy Nine Limited for 300 MW Hybrid power plant in Jaisalmer, Rajasthan". The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. Adani Green Energy Nine Ltd Power Plant - Fatehgarh-II PS 220kV S/c line (suitable of carrying 300 MW power at nominal voltage)*

   * The S/c line would be constructed on D/c and M/c towers. The total line length is approx. 48km, out of which approx. 16 km would be implemented as S/c line on D/c towers of AGE9L and balance line upto Fatehgarh-II PS would be S/c line on M/c towers of MSUPPL.

The above overhead line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

STATE: RAJASTHAN

VILLAGES	TEHSIL	DISTRICT
Bhimsar, Rasla, Achala, Naya achala, Mehrajot, Sanwata, Karara	Fatehgarh	Jaisalmer
Karalia, Sanawra, Madhopura, Madasar, Neran, Lakhasar, Jethmal ki Dhani, Sankara	Pokhran	Jaisalmer

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Adani Hybrid Energy Jaisalmer Three Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc.., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government;

(v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vi) M/s Adani Hybrid Energy Jaisalmer Three Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc.., at the time of Electrical Inspection.

V. K. MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./06/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.04.01 23:03:11 +05'30'